

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक :- 1952

दिनांक :- 24.09.2025

आदेश

मैं, प्रियंकर सिहाग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12(1) व 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम के अनुमोदन आदेश क्रमांक 4254 दिनांकित 24.09.2025 की पालना में, जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के जयपुर मुख्यालय पर स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायालयों में कार्य का समानीकरण किये जाने तथा प्रशासनिक प्रयोजन से न्यायालयों को प्रदत्त पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार में आंशिक संशोधन किया जाकर पूर्व प्रसारित क्षेत्राधिकार प्रदत्त संबंधी आदेशों को इस आदेश की सीमा तक अतिलंग्घित करते हुये निम्न सारणी अनुसार पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार प्रदत्त करता हूँ:-

जयपुर मुख्यालय

क्र०सं०	नाम न्यायालय, जिसको कॉलम नंबर 3 में अंकित पुलिस थाने से संबंधित आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया है	पुलिस थाने का नाम, जिससे संबंधित आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार कॉलम नंबर 02 में अंकित न्यायालय को प्रदत्त किया गया है
(01)	(02)	(03)
(1)	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	पुलिस थाना-साईबर आयुक्तालय
(2)	क्रम-16, जयपुर महानगर प्रथम	पुलिस थाना-साईबर क्राईम स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप

नोट:-

1. यह आदेश दिनांक 01.10.2025 से प्रभावी होगा तथा दिनांक 01.10.2025 से पूर्व अर्थात दिनांक 30.09.2025 तक की प्रथम सूचना रिपोर्ट/परिवाद/चालान/नतीजे आदि समस्त कार्यवाहियां पूर्व क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा सम्पादित की जावेगी तथा दिनांक 01.10.2025 एवं उसके बाद प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट/परिवाद/चालान/नतीजे आदि समस्त कार्यवाहियां इस आदेश द्वारा प्रदत्त नवीन क्षेत्राधिकार प्राप्त करने वाले न्यायालय द्वारा की जावेगी।
2. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश द्वारा जयपुर महानगर प्रथम के थाना क्षेत्र की सीमाओं पर अधिकारिता रखने वाले वर्तमान न्यायालयों का मुख्यालय परिवर्तित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की भ्रांति की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता से निर्देश प्राप्त किये जावेंगे।

PRIYANKAR
SIHAG

Digitally signed by PRIYANKAR
SIHAG
Date: 2025.09.24 13:04:53
+05'30'

(प्रियंकर सिहाग)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

क्रमांक :- 1953 to 1964

दिनांक :- 24.09.2025

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम।
2. श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
3. श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर
4. श्रीमान् पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन0आई0एक्ट केसेज), जयपुर महानगर प्रथम।
6. सहायक निदेशक, अभियोजन, प्रथम, जयपुर महानगर।
7. उपायुक्त पुलिस पूर्व/दक्षिण/मुख्यालय/यातायात/जयपुर ग्रामीण
8. दी बार एसोसिएशन, बनीपार्क/कलैक्ट्रेट/बस्सी/सांगानेर/चाकसू, जयपुर महानगर प्रथम
9. समस्त पुलिस थाना, जयपुर पूर्व व दक्षिण, जयपुर
10. पुलिस कण्ट्रोल रूम, जयपुर महानगर को समस्त पुलिस थानों को सूचित किए जाने हेतु।
11. नोटिस बोर्ड।
12. आदेश पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली

PRIYANKAR
SIHAG

Digitally signed by PRIYANKAR
SIHAG
Date: 2025.09.24 13:05:10 +05'30'

(प्रियंकर सिहाग)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम